राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(जी–212/107) अलेसे–I/755 दिनांकः– 26/10/2018

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश कमांक एफ.2(क)(सेवानिवृत्त) अलेसे–I/867 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा कम संख्या 136 पर अंकित श्री गोपाल लाल जाट के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 28.02.2018 से सेवानिवृत किये जाने के आदेश जारी किये गये, जिसमें इनके विरूद्ध जांच/न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। श्री जाट के विरूद्व उनकी पत्नी श्रीमती मनभर देवी द्वारा पत्नी के जीवित रहते हुए अन्य महिला (श्रीमती कमला जाट) से शादी करने की शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय आदेश कमांक 1335 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा उक्त जारी "विभागीय जांच बकाया नहीं" का प्रमाण–पत्र प्रत्याहृत (WITHDRAWN) कर कोषाधिकारी, टोंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा श्री जाट के विरूद्व की गई शिकायत का कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने, समस्त दस्तावेजों में धर्मपत्नी श्रीमती मनभर देवी को ही नॉमीनी घोषित किया हुआ होने एवं श्रीमती कमला जाट का श्री गोपाल लाल जाट की दूसरी पत्नी प्रमाणित नहीं होने के परिणामस्वरूप श्री जाट को दोषमुक्त मानते हुए वर्तमान में उनके विरूद्व अन्य कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं होने के कारण वित्त (नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोपाल लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(जी–212/107) अलेसे–I/755 दिनांकः– 26/10/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, टोंक।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निवाई, टोंक।
5. श्री गोपाल लाल जाट, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, द्वारा कार्यालय पंचायत समिति, निवाई, टोंक।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
8. एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/जांच शाखा/वरिष्ठता शीट/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - http://dta.rajasthan.gov.in, E-Mail Id - aao1.dta@rajasthan.gov.in Fax-2740735, Tel.- 2744134